कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
कलेक्ट्रेट परिसर राजनांदगांव जिला– राजनांदगांव (छ.ग.) पिन–491441

//प्रेस विज्ञप्ति//

मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (Hub for Empowerment of Women) के संचालन हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन की अंतिम तिथि 23/05/2026 होगी

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरूआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय हब हेतु जिले मे 02 संविदा पद 01 पद जेण्डर विशेषज्ञ (अनु.जन.जाति) एवं 01 पद आई.टी. असिस्टेंट (अनारक्षित) की पूर्ति हेतु विज्ञापन दिनांक 08.05.2026 को जारी कर पद अनुसार योग्यताधारी एवं इच्छुक आवेदकों से दिनांक 23.05.2026 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला राजनांदगांव, पिन कोड 491441 में पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से आवेदन प्रेषित कर सकते है। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाईट www.rajnandgaon.gov.in व कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

क्र./258 मबावि/स्था./2026–27　　　　राजनांदगांव, दिनांक–07/05/26

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अपर कलेक्टर (वेब सूचना प्रबंधक), जिला राजनांदगांव को जिले की वेबसाइट में अपलोड करने की अनुमति प्रदान करने हेतु सादर सूचनार्थ।
4. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग जिला राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को प्रमुख समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास),
जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

E-mail:-dpowcd2026@gmail.com

क्रमांक 257/मबावि/2026–27 राजनांदगांव, दिनांक 07/05/26

//विज्ञापन//

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव अंतर्गत जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र के संचालन हेतु संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, नवा रायपुर के पत्र क्र0 6132/मबावि/सावि/23–24, नया रायपुर अटल नगर दिनांक 20.09.2023 एवं पत्र कमांक/GENCOR/3104/2026–WCD HOD MISSION SHAKTI, दिनांक 11.02.2026 के अनुसार जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र के संचालन हेतु संविदा भर्ती हेतु पात्र आवेदकों से दिनांक 08.05.26 से दिनांक 23.05.2026 तक आवेदन आमंत्रित हैं। पद एवं आवेदन प्रकिया का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पदो की संख्या			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन
		UR	ST	योग		
1	जेन्डर विशेषज्ञ	00	01	01	8	25780
2	आई.टी. असिस्टेंट	01	00	01	7	20900

चयन हेतु आवश्यक शर्तें:–

1. आयु सीमा–

1.1 जेण्डर विशेषज्ञ पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध मे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किंतु सभी छूटो को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नही होगी।

1.2 आई.टी. असिस्टेंट पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इस पद हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किंतु सभी छूटो को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

1.3 आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण--पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।

2. उक्त पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को (सक्षम अधिकारी का निवास प्रमाण पत्र संलग्न होने पर) इस पद हेतु 02 पद बोनस अंक दिया जाएगा।
3. आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

टीप :— उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

5. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण—पत्र एवं अंकूसची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए। आवेदन भरने की अंतिम तिथि पश्चात् कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जा सकते है।
6. अनुभव के संबंध मे अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
7. आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध मे नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।
8. किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप मे मान्य नहीं किया जावेगा।
9. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण—पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
10. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रृटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध मे उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
11. प्रत्येक पद के लिए पृथक—पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है , स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई—मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
12. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
13. उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किये जाऐंगें तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक—इन—इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर चयन की प्रकिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेंगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।
14. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गई तिथि तक स्वीकार किए जाएंगें।
15. कौशल परीक्षा/ वॉक—इन—इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यथियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
16. योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगें तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

17. आवेदनों का मूल्यांकन :–

आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे–

- वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
- न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे।
- उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
- वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है,वहां दोनो में 10–10 अंक होंगे।
- अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची मे समान अंक होने की दशा मे उम्र मे वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।

18. वेतन भत्ते, अन्य सुविधाओं का विवरण :–

18.1 मिशन शक्ति अंतर्गत जिला स्तर पर जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र में आदर्श मानव संसाधन की संरचना तथा उनकी योग्यता का निर्धारण मिशन शक्ति के दिशा–निर्देश में उल्लेखित है।

18.2 वेतन संबंधी विवरण विलोपित पदों की संख्या के साथ उल्लेखित है। योजना अवधि में नियुक्त कर्मियों को मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के प्रावधान के अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

19. अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

20. चयन हेतु आर्हताएं, मापदण्ड एवं अन्य शर्तें:– भारत शासन द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत दिए गए मार्गदर्शी निर्देश मे चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम आर्हता में राज्य की आवश्यकताओं के आलोक में राज्य एवं जिले के लिए वित्तीय मापदंडो को भी ध्यान में रखते हुए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तो का निम्नानुसार निर्धारण किया गया है:–

20.1 जिला स्तरीय (DHEW) हेतु शैक्षणिक अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभवः–

क.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	जेन्डर विशेषज्ञ	सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों मे स्नातक डिग्री।	कम्पयूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस ऑफिस एवं कम्पयूटर टाईपिंग मे कार्य करने की क्षमता	• जेण्डर से संबंधित कार्य का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/गैर शासकीय संगठन में कम से कम 03 वर्षो का अनुभव • कम से कम 03 वर्ष का महिलाओं के मुद्दो का अनुभव	• स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता। • अंग्रेजी भाषा में कम्पयूटर में कार्य करने का अनुभव।
2	आई.टी. असिस्टेंट	कम्प्यूटर/आई.टी. क्षेत्र में स्नातक उपाधि।	कम्पयूटर का अच्छा ज्ञान एवं एम.एस ऑफिस एवं कम्पयूटर टाईपिंग मे कार्य करने की क्षमता	डाटा प्रबंधन/प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब आधारित एवं वेबबेस्ड रिर्पोटिंग फार्मेट में कार्य करने का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षो का अनुभव	

21. नियुक्ति की अवधिः—

21.1 इस पद पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तद्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

21.2 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

21.3 इस पद की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्य कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

22. **आवेदन पत्र दिनांक— 23.05.26 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला राजनांदगांव (छ.ग.) पिन 491441** मे निर्धारित तिथि तक प्राप्त होने पर ही मान्य किया जावेगा, निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जावेगा। आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डॉक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगे।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला—राजनांदगांव (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वयं द्वारा पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर किया जावे जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें।

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

1. आवेदित पद का नाम :– ....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....
   (अंग्रेजी में) :– ....
3. पिता/पति का नाम :– ....
4. स्थायी पता :– ....
   ....
5. (पत्र व्यवहार का पता) :– ....
   ....
   ....
   ....
6. जन्मतिथि (अंको में) :– ....
   (शब्दों में) :– ....
7. दिनांक 01/01/2026 को आयु :– ....
8. लिंग पुरूष/महिला :– ....
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति............................वर्ग..............................
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है?:–..
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यत्ताः–..
12. शैक्षणिक योग्यताः–(जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णाक	प्रतिशत	श्रेणी

13. रोजगार कार्यालय का नाम/पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक...

....

14. अन्य योग्यता का विवरण :– ....

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :– ....

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते है।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची –

1. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र
2. 12वीं की अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
5. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र।

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा–पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान –...

दिनांक –...